


(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक रेस्टो. 1350-115

जिला- शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-9-15	<p>प्रकरण का अवलोकन किया एवं आवेदक अभि. के तर्कों पर विचार किया । अनुपस्थिति का कारण समाधानकारक होने से मूल प्रकरण पुर्नस्थापित किया जाता है । इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	 (एम.के.सिंह) सदस्य



न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक

/2015 रेस्टोरेशन रेस्टोरेशन नं. 1350-II/15

श्री. पुनः वाजपेयी
द्वारा आज दि. 2/6/15 को
प्रस्तुत
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. डॉ. दीपक पॉल अधीक्षक किश्चियन अस्पताल बुढार रोड शहडोल मध्यप्रदेश
2. चिकित्सा अधीक्षक किश्चियन अस्पताल बुढार रोड शहडोल तहसील- सोहागपुर जिला- शहडोल म0प्र द्वारा डॉ दीपक पॉल

विरुद्ध

डॉ. किस्टी लुईस अब्राहम निवासी सी.आई.सी.एम चर्च के पास सिंहपुर रोड शहडोल तहसील- सोहागपुर शहडोल म0प्र0

म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा-9 के अंतर्गत निर्मित नियमों के नियम-32 के अधीन आवेदन पत्र.

महोदय,

आवेदक का आवेदन निम्नानुसार प्रस्तुत है-

1. यह कि, आवेदक का प्रकरण क्रमांक-आर 1212-तीन/2011 माननीय न्यायालय के समक्ष दिनांक 28-04-2015 को नियत था.
2. यह कि, नियत दिनांक 28-04-2015 को आवेदक के अधिवक्ता अभिभाषक संघ के निर्णय के अनुसार सामुहिक रूप से कार्य से विरत थे आवेदक अपने अधिवक्ता पर आश्वस्त था इस कारण आवेदक नियत दिनांक 28-04-2015 को उपस्थित नहीं हो सका और प्रकरण अदम पेरवी में खारीज हो गया इसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता को मई माह के तीसरे सप्ताह में खारीज प्रकरणों की सूची सूचना फलक/बोर्ड पर चस्पा करने पर हुयी जानकारी दिनांक से आवेदन समय सीमा के भीतर प्रस्तुत किया जा रहा है.
3. यह कि, न्यायहित में प्रकरण पुनः स्थापित कर गुणागुण पर सुनवायी की जाकर निर्णय किया जाना न्यायोचित होगा.

अतएव प्रार्थना है कि, आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण क्रमांक-आर 1212-तीन/2011 पुनः स्थापित किया जाकर प्रकरण के गुण-दोषो पर सुनवायी किये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान किये जायें.

इति दिनांक: 2/6/15

आवेदकगण

द्वारा अधिवक्ता

म. वाजपेयी
(अधीक्षक. वाजपेयी)